

न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर राज.

पीठासीन अधिकारी

श्री अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न 48/2019

दिनांक 16.12.2019

सरकार बनाम रामकरण


निर्णय

पत्रावली पेश हुई । अतिचारी अनुपस्थित

सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मोहनपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कि है कि सम्वत 2076में वाके ग्राम मोहनपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1/12/0.0168है0 व 2/5/0.0168 पर श्री रामकरण पुत्र ग्यारसीलाल जाति अहीर निवासी मोहनपुरा तहसील कोटपूतली ने बिना सक्षम स्वीकृति कृषि भूमि को मौके पर आवासीय कालोनी विकसित कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है। अतः रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । अतिचारीयों को विधिवत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 सहपठित धारा 90 ए के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न पत्रावली किया गया।सूचनापरांत अतिचारी उपस्थित नहीं आये तथा ना ही जबाब पेश किया । अतः अतिचारी के विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि अतिचारी ने बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किया है जो अतिचार की श्रेणी में आता है। अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित है ।

अतः श्री रामकरण पुत्र ग्यारसीलाल जाति अहीर निवासी मोहनपुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम मोहनपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न01/12/0.0168 व 2/5/0.0168 है0 पर किये गये उक्त कृत्य के लिय अतिचारी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर किये गये निर्माण को ध्वस्त किया जाकर बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि का आवासीय उपयोग करने के आरोप में लगान राशी 0.13रु का पचास गुणा 10 रु,अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है। वास्ते बेदखली ,पैलन्टी वसूली भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को तहरीर जारी हो। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण होकर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019को सरे इजलास सुनाया गया।


तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)